

श्री. राम नाईक
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश



संक्षिप्त परिचय
(1 जनवरी 2015)

1. आदरणीय राष्ट्रपति जी ने 14 जुलाई 2014 को श्री. राम नाईक को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर मनोनित करने के बाद श्री. नाईक ने 22 जुलाई 2014 को लखनऊ में पदग्रहण किया और 5 अगस्त 2014 को राजस्थान के राज्यपाल के नाते भी मनोनीत करने के बाद श्री. राम नाईक ने 8 अगस्त 2014 से 3 सितंबर 2014 तक राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला. साऊथ इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई की ओर से 'राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार' कांची कामकोटी पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य जयेन्द्र सरस्वती स्वामीगल के हाथों श्री. राम नाईक को मुंबई में दिनांक 13 दिसंबर 2014 को प्रदान किया गया। इसके पूर्व इस पुरस्कार से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री. अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. शंकर दयाल शर्मा और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महानुभावों को अलंकृत किया गया है।
2. इसके पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद में 13 अक्टूबर 1999 से 13 मई 2004 तक श्री राम नाईक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे. 1963 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का गठन हुआ. तब से अब तक लगातार पाच वर्ष कार्यरत वे एकमेव पेट्रोलियम मंत्री है. इसके पूर्व 1998 की मंत्री परिषद में श्री नाईक ने रेल (स्वतंत्र प्रभार), गृह, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्यमंत्री (13 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999) के रूप में कामकाज संभाला था. एक साथ इतने महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालना विशेष माना जाता है. वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे तथा भाजप शासित राज्य सरकारों के मंत्रियों की कार्यक्षमता बढ़ें और गुणवत्ता का संवर्धन हो इसलिए गठित 'सुशासन प्रकोष्ठ' के राष्ट्रीय संयोजक भी थे. 2014 का लोकसभा चुनाव न लड़ने की तथा भविष्य में पार्टी को अपने राजनैतिक अनुभव देने के लिए राजनीति में सक्रीय रहने की घोषणा श्री. राम नाईक ने भाजपा के आचार - विचार के प्रेरणास्त्रोत तथा एकात्म मानववाद के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के दिन याने 25 सितंबर 2013 को पत्रकार संमेलन में की. 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्री. गोपाल शेड्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक मतों से 6,64,004 और सबसे अधिक मताधिक्यसे 4,46,582 जीतें. श्री. नाईक श्री. शेड्टी के चुनाव प्रमुख थे.
3. पेट्रोलियम मंत्री के रूप में श्री राम नाईक ने अक्टूबर 1999 में पदभार संभाला. उस समय 1 करोड़ 10 लाख ग्राहक घरेलू गैस की प्रतिक्षा-सूची में थे. यह घरेलू गैस की प्रतीक्षा-सूची समाप्त करने के साथ-साथ कुल 3 करोड़ 50 लाख नये गैस कनेक्शन श्री नाईक ने अपने कार्यकाल में जारी करवाए. उसके पूर्व 40 वर्षों में कुल 3.37 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए थे. माँगने पर नया सिलेंडर मिलना प्रारंभ हुआ था. इस पृष्ठभूमि पर श्री नाईक की कार्यक्षमता उभर कर सामने आती है. साथ साथ दुर्गम तथा पहाडी इलाकों की जरूरतों को व अल्प आय वाले लोगों को राहत देने के लिए 5 किलो के गैस सिलेंडर भी उनके कार्यकाल में ही जारी किए गए. उस समय 70 प्रतिशत कच्चा तेल (कूड ऑईल) आयात किया जाता था. कच्चे तेल के आयात की इस निर्भरता को कम करने के लिए उन्होंने विविध योजनाएं

बनाकर उन्हें कार्यरूप देना शुरू किया। उन योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण निर्णय अर्थात् इथेनॉल का पेट्रोल में 10 प्रतिशत मिश्रण करना है। कारगिल युद्ध में शहीद वीरों की पत्नियों/निकटस्थ रिश्तेदारों को तेल कंपनियों के माध्यम से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की डीलरशिप देने की विशेष योजना भी उनके द्वारा ही मंजूर की गई। संसद भवन पर - हुए हमले में शहीद कर्मचारियों के परिवारजनों को भी पेट्रोल पंप आंबटित किए। पेट्रोल-डिजल के वाहनों से प्रदूषण कम हो इसलिए दिल्ली और मुंबई में सीएनजी गैस देना प्रारंभ किया। इस समय मुंबई में 1.40 लाख आटोरिक्षा, 53 हजार टैक्सी, 7,500 निजी मोटरकारें तथा 8,400 बस-ट्रक-टैम्पो सीएनजी पर चलते हैं। इसके अलावा रसोई के एलपीजी सिलंडर के बदले अधिक सुरक्षित, उपयोग के लिए आसान और तुलना में सस्ता पाइप गैस शुरू किया। इसका लाभ मुंबई में 7 लाख परिवारों को और 1,900 लघु-उद्योगों को मिल रहा है।

4. मुंबईवालों की नजर में 'उपनगरीय रेल यात्रियों के मित्र' यह श्री राम नाईक की असली पहचान है। श्री.नाईक ने 1964. में 'गोरेगाव प्रवासी संघ' की स्थापना कर उपनगरीय यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने का कार्य प्रारंभ किया। बाद में रेल राज्यमंत्री के नाते विश्व के व्यस्ततम मुंबई उपनगरीय रेल के 76 लाख यात्रियों को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 'मुंबई रेल विकास निगम' की स्थापना की। मुंबई के उपनगरी यात्रियों को राहत देने की दृष्टि से श्री राम नाईक ने अनेक विषयों की पहल की जैसे कि उपनगरी क्षेत्र का विरार से डहाणू तक विस्तार, 12 डिब्बों की गाड़ियां, संगणकीकृत आरक्षण केन्द्र, बोरीवली - विरार चौहरीकरण, कुर्ला-कल्याण छ: लाईनें, महिला विशेष गाडी आदी। संपूर्ण देश में रेल प्लैटफार्मों पर तथा यात्री गाडीयों में सिगरेट तथा बिडी बेचने पर पाबंदी लगाने का ऐतिहासिक काम श्री. नाईक द्वारा हुआ। यात्रियों से सुझाव लेकर नई गाडीयों का नामकरण करने की अनोखी लोकप्रिय पध्दति का प्रारंभ भी श्री राम नाईक ने ही किया। 11 जुलाई 2006 के लोकल गाडीयों में हुए बमविस्फोट से पीडित परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए। 16 अप्रैल 2013 से डहाणू-चर्चगेट लोकल सेवा प्रारंभ हुई, जिसके पिछे श्री. नाईक के सफल प्रयास रहे है। इस निर्णय से पश्चिम रेलवे का उपनगरीय सेवा का क्षेत्र 60 किलोमिटर से 124 किलोमिटर हुआ।
5. श्री राम नाईक ने महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार पांच बार जीतने का कीर्तिमान बनाया है। इसके पूर्व तीन बार वे महाराष्ट्र विधानसभा में बोरीवली से विधायक भी रहे हैं। तेरहवीं लोकसभा चुनाव में उन्हें 5,17,941 मत प्राप्त हुए जो कि महाराष्ट्र के सभी जीतने वाले सांसदों में सर्वाधिक थे। मुंबई में सफलतापूर्वक लगातार आठ बार चुनाव जीतने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले श्री नाईक पहले लोकप्रतिनिधी है। जनप्रतिनिधी की जवाबदेही की भूमिका में मतदाताओं को वे प्रतिवर्ष कार्यवृत्त प्रस्तुत करते रहे। राज्यपाल का दायित्व संभालने के बाद भी आपने पहले तीन महीनों का कार्यवृत्त 'राजभवन में राम नाईक' 20 अक्टूबर 2014 को प्रस्तुत किया।
6. श्री राम नाईक संसद की गरिमामय लोक लेखा समिति के 1995 - 96 में अध्यक्ष थे। लोकसभा में वे भाजपा के मुख्य सचेतक भी रहे। संसदीय रेलवे समन्वय समिति, प्रतिभूति घोटाला के लिए संयुक्त जांच समिति, महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करने हेतु संसदीय समिति जैसी प्रमुख समितियों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकसभा की कार्यवाही को सुचारु चलाने के लिए लोकसभा की सभापति तालिका के भी वे सदस्य रहे हैं।
7. श्री राम नाईक ने संसद में 'वंदे मातरम्' का गान प्रारंभ करवाया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही अंग्रेजी में 'बॉम्बे' और हिंदी में 'बंबई' को उसके असली मराठी नाम 'मुंबई' में परिवर्तित करने में सफलता मिली। संसद सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि की संकल्पना श्री नाईक की ही है। इस राशि को रुपए 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से रुपए 2 करोड़ प्रतिवर्ष कराने का निर्णय भी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री के नाते श्री. नाईक ने लिया। अब यह राशि रु. 5 करोड़ की गयी है। संसद सदस्य के नाते उन्होंने 'स्तनपान को प्रोत्साहन और शिशु खाद्य के विज्ञापनों पर रोक' का 'निजी विधेयक' प्रस्तुत किया। तदनुसार इस विधेयक को सरकार द्वारा स्वीकृति मिली और बाद में यह अधिनियम बना।

8. श्री नाईक का जन्म 16 अप्रैल 1934 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ. विद्यालयीन शिक्षा सांगली जिले के आटपाडी गांव में हुई. पुणे में बृहन् महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय से 1954 में बी.काम्. तथा मुंबई में किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय से 1958 में एल्.एल्.बी. की स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की. श्री नाईक ने अपना व्यावसायिक जीवन 'अकाउंटेंट जनरल' के कार्यालय में अपर श्रेणी लिपिक के नाते शुरू किया. बाद में उनकी उच्च पदों पर उन्नति हुई और 1969 तक निजी क्षेत्र में कंपनी सचिव तथा प्रबंध सलाहकार के नाते उन्होने कार्य किया. श्री. राम नाईक बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है.,
9. राजनैतिक स्तर पर उन्होंने भारतीय जनसंघ के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में मुंबई का उपनगर गोरगाव में कार्य शुरू किया. 1969 में भारतीय जनसंघ के मुंबई क्षेत्र के संगठन मंत्री के नाते कार्य करने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने लगातार आठ वर्षों तक संगठन का कार्य किया. वे भाजपा मुंबई विभाग के तीन बार अध्यक्ष भी रहे. वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य तथा भाजपा के 'सुशासन प्रकोष्ठ' के राष्ट्रीय संयोजक भी थे.
10. तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प 3 व 4 के कारण विस्थापित हुए पोफरण व अक्करपट्टी ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिए 2004 से स्वयम् श्री राम नाईक मुंबई उच्च न्यायालय में भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. अब इन विस्थापितों को न्याय मिल रहा है. इस संदर्भ में श्री नाईक ने 'गाथा संघर्षाची' मराठी तथा 'Saga of Struggle' अंग्रेजी किताबें भी लिखी है. कुष्ठपीडित रुग्णों का सामाजिक सशक्तीकरण हो तथा उन के परिवारों का यथोचित पुनर्वास हो इस उद्देश्य से उनकी अगवानी में 5 दिसंबर 2007 को राज्यसभा में याचिका प्रस्तुत की. राज्यसभा की याचिका समिती ने अपनी रिपोर्ट 24 अक्टूबर 2008 को राज्यसभा को प्रस्तुत किया है. इसके अतिरिक्त 1987 में विख्यात समाजशास्त्रज्ञ कै. शरदचंद्र गोखले द्वारा स्थापित इंटरनैशनल लेप्रसी युनिअन, पुणे के आप अध्यक्ष भी रहे है.
11. श्री राम नाईक को 1994 में कैंसर की दुर्घर बीमारी हुई परंतु श्री राम नाईक ने उस रोग को भी मात दी, तत्पश्चात् विगत 20 वर्षों में पहले जैसे वे उसी उत्साह और कार्यक्षमता से काम कर रहे हैं. श्री राम नाईक एक विशिष्ट छवि वाले व्यक्ति है जो प्रत्येक कार्य में सूक्ष्मता और पारदर्शिता एवं जागरुकता के लिए जाने जाते हैं.
12. आदरणीय राष्ट्रपतिद्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा के बाद 15 जुलाई 2014 को श्री. राम नाईक ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तथा सभी पदों से इस्तिफा दिया है.
